the Minister has been talking about it and inviting a national debate on it. Both the Joshi Committee and the Parthasarathy Media Advisory Committee have referred to it and now the recommendations have come. I would like to know from the Minister when he is going to announce the media policy and whether he will give an opportunity to this House to discuss it threadbare.

SHRI V. N. GADGIL: As I have stated earlier, my concept of the media policy, I have spelt out as the communication policy. I would like consensus to evolve after a national debate. Then it should come before Parliament.

SHRI M.S. GURUPADASWAMY: May I know whether the Minister is aware of the Chanda Committee report which was submitted long back — I happened to be a member of that Committee in which we have categorically stated that there should be autonomous corporations for the All India Radio and the Doordarshan? What has happened to that recommendation, whether it is still being considered or it has been shelved?

SHRI V. N. GADGIL: We have repeatedly stated in this House as well as outside that Government is of the view that autonomous or semi-autonomous status is not called for. But the P.C. Joshi Committee has recommended a different structure on the pattern of the Railway Board. I understand—I have not gone through and studied it—that the Parthasarathy Committee has also proposed certain restucture for the Doordarshan particularly We will go through this.

लारेन्स रोड नई दिल्ली में "फ्लैटेड फैक्टरियों का निर्माण

*374. **डा० गोविन्द दास रिछारिया**: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के लारस रोड आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र की जोनल विकास योजना के अन्तर्गत कुछ क्षेत्र फ्लैटेड फैक्टरियों के लिये आरक्षित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दस वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी फैक्टरियों के निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर "ना" हो तो उन फैक्टरियों का निर्माण काय कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(घ) सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां । फ्लैटेड फैक्टरियों/परिवहन टर्मिनलों के लिये 1972 में क्षेत्र आरक्षित किया गया था ।

(ख) इस भूमि पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के तीन डिपुओं का निर्माण किया गया है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शेष क्षेत्र का उपयोग मुद्रणालय कम्पलैक्स जो कि उसी भू-उपयोग के भीतर अनुमेय है, की स्थापना करने के लिये 1980 में सकल्प किया था । अत: इस क्षेत्र में कोई फैक्टरी निर्मित नहीं की गई थी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) कोई कार्यवाही उचित नहीं समझी जाती है ; क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय वृहत योजना भू-उपयोग के अन्तर्गत है ।

डा० गोविन्द दास रिछारिया : मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि सन् 1972 में जो फैसला किया गया था कि इसके लिये वहां फ्लैट बनाये जायेंगे तो उसको क्यों परिवर्तित किया गया ? उसमें फ्लैटेड फ़क्टरियां क्यों नहीं बनाई गई ?

श्री दलबीर सिंह : 1972 में लारेंस रोड़ में क्षेत्रीय विकास योजना ने जो भूमि अनुमोदित की थी वह 12.34 हैक्टयर थी उस क्षेत्र में से कुछ डी०टी०सी०को दी गई है और उसमें से 6 हक्टेयर दिल्ली परिवहन निगम को डिपो के निर्माणाधीन आवंटित की गई है। कुछ जमीन उसमें से डी० डी० ए० ने ली है प्रिंटिग प्रैस के लिये। यह कार्य निर्माणाधीन है और इसको रोका नहीं गया है।

MR. CHAIRMAN: No, His question is, it was reserved for flats. Why was it not used for flats and it was used for something else? That is the question. You See, in part

(a) it has been asked:

"Whether it is fact that an area of land under the Zonal Development Plan of the Lawrence Road Residential..."

SHRI DALBIR SINGH: Just a minute, Sir. Central Government in November, 1972 approved the Zonal Development Plan of Zone S-II, Lawrence Road. Under section 9(2) of the Delhi Development Act in this Zonal Plan this area of 12 34 hectares was proposed to be used for setting up factories, transport centre, bus terminal. Out of these 12.34 hectares, about 6 hectares had been allotted for construction of the Delhi Transport Corporation depot, and accordingly buildings were constructed and are under construction now.

MR. CHAIRMAN: No, no, you have not understood the question. Are you satisfied with the answer, Mr. Richharia?

This area was reserved among other things for flats. His question is why flats were not built and why the Delhi Transport Corporation depot was built., If you have got the answer, you give.

श्री दलबीर सिंह : इसमें जो आवश्यकता है ट्रेड के लिये वह 12.34 हक्टेयर भूमि कुल है । उसमें से कुछ डी०टी०सी० को दी गई है और बाकी डी० डी० ए० ने ली है।

MR. CHAIRMAN: All right. Next question.

आपरेशन फ्लड-2 के कार्यकरण का पुनरीक्षण

*375. **श्री घनश्याम सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशन फ्लड-2 योजना के आरम्भ होने से पूर्व किसानों को दूध के लिये क्या भाव मिलता था और अब भाव क्या है ;

(ख) इस अवधि में मूल्य सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ग) आपरेशन फ्लड की योजनाओं के अन्तर्गत देश में राज्यवार दुग्ध उत्पादन प्रासेसिंग क्षमता एवं पशुधन विकास में कितनी प्रगति हुई है ; और